

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प.14(1)राज.6/2005/पार्ट/54

जयपुर, दिनांक 18-9-2006.

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, (राजस्थान अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवम् सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम, 1963 के नियम-1 के द्वितीय परन्तुक में वर्णित भूमियां जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भूमि को छोड़ कर, समस्त किरम की भूमि का आवंटन राजकीय विभागों को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त 1963 के नियमों के नियम 4 में वर्णित आवंटन प्राधिकारी द्वारा उक्त नियमों के नियम 2 में निर्धारित आवंटित होने वाली अधिकतम सीमा तक दिनांक 31.3.2007 तक आवंटन किया जा सकेगा ।

अतः समस्त आवंटन प्राधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकार के समस्त प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित अवधि में कर राज्य सरकार को सूचित करें ।

राज्यपाल की आज्ञा से ,

(कै.जी. अग्रवाल)  
उप शासन सचिव.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राज. सरकार
2. विशिष्ट सहायक मा. राजस्व मंत्री महोदय
3. निजी सचिव मुख्य सचिव महोदय/ प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/ शासन सचिव, राजस्व विभाग
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त / समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर/ निदेशक, राज.राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर.
6. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के असाधारण विशेषांक दिनांक 18-9-2006 में प्रकाशनार्थ ।
7. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज., जयपुर
8. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर.
9. रक्षित पत्रावली.

उप शासन सचिव.